

प्रश्न सं. [क. 1216]

प्रपत्र-अ

अतारांकित प्रश्न क्रमांक-1216 द्वारा श्री सोहनलाल बाल्मीक

क.	सभाग का नाम	विधानसभा क्षेत्र का नाम	प्रश्नकर्ता द्वारा माननीय विभागीय मंत्री महोदय को प्रेषित पत्र क्र. एवं दिनांक	कार्य का नाम एवं लं. (कि.मी.)	विभाग द्वारा की गई कार्यवाही	टीप
1	2	3	4	5	6	7
1	छिन्दवाड़ा	परसिया	माननीय लो.नि.वि.मन्त्री म.प्र.शासन को संबोधित माननीय विधायक परसिया का पत्र क्र. वि.स/परसिया/127/2025/434 दिनांक 28.07.2025	कुण्डालीखुर्द मानकादेही मार्ग लं. 3.10 कि.मी.	विभाग में नवीन कार्य स्वीकृत किये जाने हेतु बजटीय प्रक्रिया के अलावा कोई विकल्प नहीं है। यह कार्य बजट में सम्मिलित न होने के कारण स्वीकृति की कार्यवाही नहीं की जा सकी है।	स्वीकृति की समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं।
2				हरहित से पंजनवाड़ी मार्ग लं. 2.20 कि.मी.	उक्त मार्ग लं. 3.00 कि.मी. की प्रशासकीय स्वीकृति म.प्र.शासन लो.नि.वि.मोपाल का पत्र क्र. एफ-43/08/2025/19/यो-841 दिनांक 29.03.2025 द्वारा राशि रु. 359.96 लाख की प्रदाय की गई है। तदनुसार निविदा आमंत्रित कर दिनांक 22.10.2025 को एजेंसी निर्धारित कर कार्य प्रगति पर है।	स्वीकृत
3				पुरा से पुरा ढाना मार्ग लं. 1.50 कि.मी.	उक्त मार्ग लं. 1.80 कि.मी. की प्रशासकीय स्वीकृति म.प्र.शासन लो.नि.वि.मोपाल का पत्र क्र. एफ-43/19/2025/19/यो-2212 दिनांक 10.07.2025 द्वारा राशि रु. 213.68 लाख की प्रदाय की गई है। प्रस्तुत डीपीआर. एच पीपीटी. के आधार पर कार्य की कुल लागत राशि रु. 252.79 लाख आती है। तदनुसार संशोधित प्रशासकीय स्वीकृति अपेक्षित है।	स्वीकृत
4				कोठार से गौलीढाना मार्ग लं. 2.00 कि.मी.	विभाग में नवीन कार्य स्वीकृत किये जाने हेतु बजटीय प्रक्रिया के अलावा कोई विकल्प नहीं है। यह कार्य बजट में सम्मिलित न होने के कारण स्वीकृति की कार्यवाही नहीं की जा सकी है।	स्वीकृति की समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं।
5				चांदामेटा मुख्य मार्ग से डोंगरखापा मार्ग लं. 3.00 कि.मी.	विभाग में नवीन कार्य स्वीकृत किये जाने हेतु बजटीय प्रक्रिया के अलावा कोई विकल्प नहीं है। यह कार्य बजट में सम्मिलित न होने के कारण स्वीकृति की कार्यवाही नहीं की जा सकी है।	स्वीकृति की समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं।
6				तिनसई से डोंगरखापा नीमकुही मुख्य मार्ग तक लं. 4.00 कि.मी.	विभाग में नवीन कार्य स्वीकृत किये जाने हेतु बजटीय प्रक्रिया के अलावा कोई विकल्प नहीं है। यह कार्य बजट में सम्मिलित न होने के कारण स्वीकृति की कार्यवाही नहीं की जा सकी है।	स्वीकृति की समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं।
7				सतपूर से बीजागोरा मार्ग लं. 3.00 कि.मी.	विभाग में नवीन कार्य स्वीकृत किये जाने हेतु बजटीय प्रक्रिया के अलावा कोई विकल्प नहीं है। यह कार्य बजट में सम्मिलित न होने के कारण स्वीकृति की कार्यवाही नहीं की जा सकी है।	स्वीकृति की समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं।

क्र. संभाग का नाम	विधानसभा क्षेत्र का नाम	प्रश्नकर्ता द्वारा माननीय विभागीय मंत्री महोदय को प्रेषित पत्र क्र. एवं दिनांक	कार्य का नाम एवं लं. (कि.मी.)	विभाग द्वारा की गई कार्यवाही	टीप
1	2	4	5	6	7
8	छिन्दवाड़ा	जबलपुर माननीय लोकनि.मंत्री म.प्र.शासन को संबोधित माननीय विधायक परासिया का पत्र क्र. वि.स/परासिया/127/2025/434 दिनांक 28.07.2025	उमरेठ मोरडोंगरी मुख्य मार्ग से खुकरिया रैयत कालोनी मार्ग लं. 1.50 कि.मी.	विभाग में नवीन कार्य स्वीकृत किये जाने हेतु बजटीय प्रक्रिया के अलावा कोई विकल्प नहीं है। यह कार्य बजट में सम्मिलित न होने के कारण स्वीकृति की कार्यवाही नहीं की जा सकती है।	स्वीकृति की समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं।
9			मेंढकी से कोकट मार्ग लं. 3.00 कि.मी.	विभाग में नवीन कार्य स्वीकृत किये जाने हेतु बजटीय प्रक्रिया के अलावा कोई विकल्प नहीं है। यह कार्य बजट में सम्मिलित न होने के कारण स्वीकृति की कार्यवाही नहीं की जा सकती है।	स्वीकृति की समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं।
10			ग्राम चारगांव झांकी से बाघदेव मार्ग लं. 3.00 कि.मी.	विभाग में नवीन कार्य स्वीकृत किये जाने हेतु बजटीय प्रक्रिया के अलावा कोई विकल्प नहीं है। यह कार्य बजट में सम्मिलित न होने के कारण स्वीकृति की कार्यवाही नहीं की जा सकती है।	स्वीकृति की समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं।
11			ग्राम जमुनियापटार पायली से मुख्य मार्ग तक लं. 3.00 कि.मी.	विभाग में नवीन कार्य स्वीकृत किये जाने हेतु बजटीय प्रक्रिया के अलावा कोई विकल्प नहीं है। यह कार्य बजट में सम्मिलित न होने के कारण स्वीकृति की कार्यवाही नहीं की जा सकती है।	स्वीकृति की समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं।
12			ग्राम नीमकुही से गूलरखापा होते हुए मुख्य मार्ग तक लं. 3.50 कि.मी.	विभाग में नवीन कार्य स्वीकृत किये जाने हेतु बजटीय प्रक्रिया के अलावा कोई विकल्प नहीं है। यह कार्य बजट में सम्मिलित न होने के कारण स्वीकृति की कार्यवाही नहीं की जा सकती है।	स्वीकृति की समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं।
13			ग्राम मण्डली से मण्डला मार्ग लं. 2.00 कि.मी.	विभाग में नवीन कार्य स्वीकृत किये जाने हेतु बजटीय प्रक्रिया के अलावा कोई विकल्प नहीं है। यह कार्य बजट में सम्मिलित न होने के कारण स्वीकृति की कार्यवाही नहीं की जा सकती है।	स्वीकृति की समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं।
14			ग्राम कोहका से सीतामऊ तक लं. 4.00 कि.मी.	विभाग में नवीन कार्य स्वीकृत किये जाने हेतु बजटीय प्रक्रिया के अलावा कोई विकल्प नहीं है। यह कार्य बजट में सम्मिलित न होने के कारण स्वीकृति की कार्यवाही नहीं की जा सकती है।	स्वीकृति की समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं।
15			ग्राम लोनापटार से ग्राम बाबादाना तक लं. 1.00 कि.मी.	उक्त मार्ग लं. 1.00 कि.मी. की प्रशासकीय स्वीकृति म.प्र.शासन लोकनि.विभाग का पत्र क्र. एफ-43/10/2025/19/यो-846 दिनांक 29.03.2025 द्वारा राशि रु. 80.65 लाख की प्रदाय की गई है। तदनुसार निविदा आमंत्रित कर दिनांक 18.09.2025 को एजेंसी निर्धारित कर कार्य प्रगति पर है।	स्वीकृत
16			ग्राम लीखावाडी से कोल्हूखड़ा से अनखावाडी तक लं. 4.00 कि.मी.	विभाग में नवीन कार्य स्वीकृत किये जाने हेतु बजटीय प्रक्रिया के अलावा कोई विकल्प नहीं है। यह कार्य बजट में सम्मिलित न होने के कारण स्वीकृति की कार्यवाही नहीं की जा सकती है।	स्वीकृति की समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं।

क.	संभाग का नाम	विधानसभा क्षेत्र का नाम	प्रश्नकर्ता द्वारा माननीय विभागीय मंत्री महोदय को प्रेषित पत्र कं. एवं दिनांक	कार्य का नाम एवं लं. (कि.मी.)	विभाग द्वारा की गई कार्यवाही	टीप
1	2	3	4	5	6	7
17	छिन्दवाड़ा	जबलपुर	माननीय लो.नि.वि.मंत्री म.प्र.शासन को संबोधित माननीय विधायक परासिया का पत्र कं. वि.सं/परासिया/427/2025/434 दिनांक 28.07.2025	ग्राम सिरगोरीखुर्द से नवेगांव से दीघावानी मुख्य मार्ग तक लं. 7.00 कि.मी.	माननीय विधायक द्वारा सिरगोरीखुर्द से नवेगांव से दीघावानी मुख्य मार्ग तक दूरी 7.00 कि.मी. मार्ग निर्माण हेतु मांग की गई है। प्रस्तावित मार्ग के ग्राम सिरगोरीखुर्द से नवेगांव तक लं. 4.00 कि.मी. कच्चा मार्ग है जो लोक निर्माण विभाग की पुस्तिका में दर्ज नहीं है, एवं बजट में सम्मिलित नहीं है। दीघावानी से नवेगांव मार्ग लं. 3.20 कि.मी. लो.नि.वि. द्वारा पूर्व निर्मित डामरीकृत मार्ग है, इस डामरीकृत मार्ग के मजबूतीकरण हेतु विभाग के बजट वर्ष 2024-25 के सरल कं. 284 में सम्मिलित किया जाकर म.प्र.शासन, लो.नि.वि. का पत्र कं. एफ-43/06/2025/19/यो-629 दिनांक 07.03.2025 द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है एवं दिनांक 16.10.2025 को सविदाकार को कार्यादेश जारी।	स्वीकृत
18				ग्राम सिधौरा से ग्राम रैयतवाड़ी तक लं. 2.00 कि.मी.	विभाग में नवीन कार्य स्वीकृत किये जाने हेतु बजटीय प्रक्रिया के अलावा कोई विकल्प नहीं है। यह कार्य बजट में सम्मिलित न होने के कारण स्वीकृति की कार्यवाही नहीं की जा सकती है।	स्वीकृति की समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं।
19				ग्राम बुदलापठार से लिंगा ग्राम तक लं. 7.00 कि.मी.	विभाग में नवीन कार्य स्वीकृत किये जाने हेतु बजटीय प्रक्रिया के अलावा कोई विकल्प नहीं है। यह कार्य बजट में सम्मिलित न होने के कारण स्वीकृति की कार्यवाही नहीं की जा सकती है।	स्वीकृति की समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं।

मुख्य अभियंता (यो/ब)
कार्या.प्र.अ. लो.नि.वि. भोपाल

विशेष कर्षव्यवस्था अधिकारी
लोक निर्माण विभाग
मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल